

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रबन्ध बोर्ड का 32वां उपवेशन

15 मई 2025

कार्यवाही विवरण



डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कड़वड़, जोधपुर

Digitally signed by Akhlesh Kumar
Pinal

Designation : Registrar
Date: 2025.05.16 15:32:04 IST
Reason: Approved

BOM - 02



डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

फोन: 0291 -2795302
0291 -2795304

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)

Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक:- रा.आ.वि./एके/एफ-2/(BOM)/(01)/V/06-07/

दिनांक:

कार्यवाही विवरण

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध बोर्ड का 32वां उपवेशन, जो दिनांक 15 मई 2025 को प्रातः 11.30 बजे विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड में आयोजित किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण व्यक्तिशः/विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित हुए :-

1. प्रो. (वैद्य) प्रदीप कुमार प्रजापति, अध्यक्ष एवं कुलपति, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. वैद्य कमलेश कुमार शर्मा, प्रो-वाईस चांसलर, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर
3. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिष्ठाता, आयुर्वेद संकाय, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
4. प्रो. चन्दन सिंह, प्राचार्य, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
5. कुलसचिव एवं सदस्य सचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

उपवेशन में निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित हुए :-

1. प्रमुख शासन सचिव, आयुष विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. श्री पञ्चराम विश्नोई, मा. विधायक, फलौदी (जोधपुर)
3. श्री अतुल भंसाली, मा. विधायक, जोधपुर (जोधपुर)
4. प्रो. मोहम्मद आजम अंसारी, अधिष्ठाता, यूनानी संकाय एवं प्राचार्य, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
5. प्रो. जयराम चौधरी, अधिष्ठाता, होम्योपैथी संकाय, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
6. प्रो. एकलव्य बोहरा, अधिष्ठाता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साईंस, जयपुर
7. प्रो. महेश दीक्षित, प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
8. प्रो. वासुदेव पारीक, प्राचार्य, पंजाब आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, श्रीगंगानगर
9. डॉ. ए रघु, उपनिदेशक जनरल (आयुष), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, कमरा नं.- 503-डी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001
10. प्रो. तनुज राजवंशी, प्रोफेसर, मेटेरिया मेडिका विभाग, एस.के.एच.एम.सी., जयपुर

उपवेशन में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हो सके :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
2. प्रो. संजीव शर्मा, निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
3. डॉ. आनन्द शर्मा, निदेशक, आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर

Signature valid

Digitally signed by Akhlesh Kumar
Pipal
Designation : Registrar
Date: 2025.05.16 15:32:04 IST
Reason: Approved

BOM - 03

दिनांक 15 मई 2025 को प्रबन्ध बोर्ड के 32वें उपवेशन में उपस्थित सदस्य महानुभावों का सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय एवं कुलसचिव द्वारा स्वागतोपरान्त एजेण्डा पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई :-

क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
1.	प्रबन्ध बोर्ड का 30वां उपवेशन दिनांक 15.03.2025 की अनुपालना का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
2.	डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर नवीन कुलपति नियुक्ति हेतु चयन समिति में प्रबन्ध बोर्ड द्वारा एक सदस्य का मनोनयन करने बाबत विचार-विमर्श।	डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर नवीन कुलपति नियुक्ति हेतु चयन समिति में प्रबन्ध बोर्ड द्वारा प्रो. ओम प्रकाश दाधीच, पूर्व डीन एकेडमिक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, मानद विश्वविद्यालय (डी-नोवो), जयपुर का नाम सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। जिसका प्रस्ताव प्रो. कमलेश कुमार शर्मा द्वारा दिया गया एवं उसका समर्थन उपवेशन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यगणों द्वारा किया गया।
3.	राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के नियम/परिनियम में प्रति-कुलपति (Pro-Vice Chancellor) के पद का प्रावधान किये जाने पर विचार-विमर्श।	डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के नियम/परिनियम में प्रति-कुलपति (Pro-Vice Chancellor) के पद का प्रावधान/प्रस्ताव हेतु विचार-विमर्श कर तीन वर्ष अवधि के लिए नियुक्त करने बाबत नियमों में निम्न संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया :- 1. The Vice-Chancellor, if he considers necessary, may appoint the regular senior most professor of this university as Pro Vice-chancellor . 2. The Tenure of Pro Vice-Chancellor will be three years or age of superannuation whichever is earlier and it will be rotatory. 3. Once appointed a senior professor will not be reappointed for Pro Vice-Chancellor. 4. The Pro Vice-chancellor appointed under sub-section 17(A) shall discharge the duties in addition to his duties as a professor. 5. The Pro Vice-chancellor shall hold office at the pleasure of the Vice-chancellor. 6. The Pro Vice-chancellor shall assist the Vice-chancellor in respect of such matters, as may be specified by the Vice-chancellor in this behalf, from time to time and shall preside over the meetings of the University in the absence of the Vice-chancellor and shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned or delegated to him by the Vice-chancellor. उक्त नियमों में संशोधन कर राज्य सरकार को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाए जाने के लिए सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
4.	अनुपूरक एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	
	1. शून्य।	

Signature valid

अन्त में धन्यवाद के साथ उपवेशन समाप्त हुआ।

Digitally signed by Akhilesh Kumar
Pipal
Designation : Registrar
Date: 2025.05.16 15:32:04 IST
Reason: Approved

BOM - 04